कृषि प्रसार सुधार योजना

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)
(संक्षिप्त नोट)

कृषि अनुसंधान एवं प्रसार क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की सफलताएँ, कमियों तथा अनछुए पहलुओं को लक्षित करते हुए भविष्य के लिये प्रभावशाली रणनीति बनाने के लिए भारत सरकार ने **राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (NATP)** शुरू की। इस परियोजना के एक घटक **प्रौद्योगिकी प्रसार में नवीनता (ITD)** का मुख्य उद्धेश्य वर्तमान कृषि प्रसार प्रबंधन को सशक्त बनाने हेतु एक नई संगठनात्मक व्यवस्था देना तथा उसका समुचित परिचालन, मार्गदर्शन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करना था। इस उद्धेश्य की पूर्ति के लिए जिला स्तर पर एक पंजीकृत संस्था ''**कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण**'' **(ATMA)** के गठन का निर्णय लिया गया। इसका दूसरा उद्धेश्य किसानों की सक्रिय भागीदारी से ''**सामरिक अनुसंधान एवं प्रसार योजना**'' बनाना तथा साधनो के आवंटन में खण्ड स्तर पर सभी भागीदारो में कार्यक्रम समन्वय एवं एकीकरण को बढाना है ताकि कृषि प्रणाली में नवीनता, किसान समूहो/संगठनों को प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी प्रसार में अंतर कम करना, किसान–विपणन–प्रसंस्करण जुडाव विस्तार विभाग का पुनर्गठन, प्रशिक्षण एवं ज्ञानवर्धन आदि कार्यक्रमों के क्रियान्वन को सुचारू एवं प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके।

कृषि प्रसार में प्रस्तावित सुधार कार्यक्रम वर्ष 1998 में देश के सात राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उडीसा, आन्ध्रप्रदेश, एवं महाराष्ट्र के चार–चार जिलो इस प्रकार कुल 28 जिलो में **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (MANAGE)** के तत्वावधान में ''**पाइलट टेस्टिंग**'' के लिए लागू किया गया। कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वन के लिए जिला स्तर पर एक स्वशाषी संस्था ''**कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)** का गठन किया गया।

वर्ष 2003–04 में इस परियोजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों का प्रबोधन एवं मूल्यांकन **भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ** द्वारा कराया गया। जिसमें आत्मा की विस्तार प्रणाली को अत्यंत प्रभावशाली दर्शाया गया तथा पूरे देश में क्रियान्विती करने की सिफारिश की गई। वर्ष 2005 से यह परियोजना देश के विभिन्न राज्यो के 268 जिलो में लागू की गई।

वर्ष 2007–08 से आत्मा कार्यक्रम राज्य के सभी 32 जिलो में क्रियान्वित है तथा राज्य के 32 जिलो में लागू है। प्रतापगढ़ में आत्मा रजिस्ट्रेशन तथा शाषी परिषद् के गठन का कार्य चल रहा है। जिले में परियोजना निदेशक आत्मा का दायित्व उप निदेशक कृषि (विस्तार) को दिया गया है। 32 जिलो में कृषि विभाग के (29 उपनिदेशक एवं 3 सहायक निदेशको) परियोजना निदेशक (आत्मा) बनाया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

परियोजना निदेशक आत्मा एवं उप निदेशक कृषि विस्तार (29 जिले)	2005–06	अलवर, जयपुर, करौली, टोक, झालावाड, सीकर, भीलवाडा, बॉसवाडा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, पाली
	2006–07	भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बारां, नागौर, राजसमंद, अजमेर, हनुमानगढ, चित्तौडगढ, सिरोही, डूॅगरपुर, जालौर
	2007–08	धौलपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर, झुंझुनु, बाडमेर, चुरू
परियोजना निदेशक आत्मा एवं सहायक निदेशक कृषि (3 जिले)	2007–08	बीकानेर, बूँदी, जैसलमेर

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) **जिला स्तर पर गठित उन सभी प्रमुख भागीदारो की एक संस्था है जो कृषि के विकास को स्थायित्व प्रदान करने संबंधी कृषि गतिविधियों में शामिल है।** यह कृषि प्रसार एवं अनुसंधान की गतिविधियों के एकीकरण करने तथा सार्वजनिक कृषि प्रसार पद्धति के विकेन्द्रीकरण हेतु एक धुरी समान है। **यह एक पंजीकृत संस्था है** जो जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार के लिये उत्तरदायी है। आत्मा पंजीकृत **संस्था के रूप में निधि प्राप्त करने, अनुबंध करार व लेखा अनुरक्षण करने में पूर्ण समर्थ होने के कारण साथ–साथ स्वावलंबन हेतु शुल्क तथा परिचालन व्यय करने में भी समर्थ है।**

आत्मा जिला स्तर पर सभी कृषि संबंधित प्रौद्योगिकी की प्रसार गतिविधियों के लिये उत्तरदायी होगी। **जिला स्तर पर यह कृषि विकास में शामिल सभी विभागों**, अनुसंधान संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं व अभिकरणों के साथ सम्बद्ध होगी। **परियोजना जिला में कार्यरत समस्त संस्थाए जैसे कृषि विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान उपकेन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा मुख्य लाईन विभाग जैसे – कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि इसके घटक सदस्य होगे। प्रत्येक अनुसंधान व प्रसार ईकाई अपनी–अपनी संस्थापना, पहचान व सम्बद्धता बनाये रखेगी लेकिन प्रसार एवं अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का निर्धारण आत्मा के शासी निकाय द्वारा किया जाएगा तथा उनका कियान्वन आत्मा अभिकरण प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।**

आत्मा के लक्ष्य एवं उद्‌देश्य :–

- कृषि एवं कृषकों का सम्बलीकरण ।
- क्षेत्र विशेष के ससांधन एवं लोगों की मांग पर आधारित तकनीकी सेवा का विकास करना।
- कृषि कार्य से संबंधित सभी कृषकों, अनुसंधान एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्‌देश्यों हेतु जोड़ना एवं सुदृढ़ करना ।
- कृषि प्रबंध व्यवस्था में सबलीकरण हेतु किसान समूहों का निर्माण करना ।
- क्षेत्र विशेष की आवश्यकता आधारित कृषि व्यवस्था की पहचान एवं सुदृढ़ीकरण करना ।
- योजनाओं का कियान्वयन सम्बद्ध विभागों, प्रशिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक समूहों आदि द्वारा करना ।
- सभी सम्बद्ध विभागों एवं भागीदारी के सामंजन द्वारा अनुसंधान प्रसार कड़ी को सक्षम बनाना।
- कृषि के सर्वागीण विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना ।

सम्पर्क प्रकिया :–

''**प्रसार सुधार योजना**'' के अन्तर्गत प्रभावी कृषि प्रसार के लिये वर्तमान सम्पर्क प्रकिया के अतिरिक्त अनुसंधान–प्रसार–कृषक सम्पर्क हेतु निम्न प्रकिया प्रस्तावित की है।

राज्य स्तरीय कार्यदल – ''राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय कार्यदल'' कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन, भूसंरक्षण जैसे विभागों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय के बीच प्रभावशाली समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु गठित किया है। यह दल कृषि तथा लाईन विभागों के राज्य, मंडल तथा जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण में एकीकृत दृष्टिकोण की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा। यह आत्मा के द्वारा विभागीय मामलों में नीतिगत मध्यस्थता करने का कार्य करेगा।
प्रत्येक आत्मा जिले में परियोजना की गतिविधियों की निगरानी हेतु **निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार को परियोजना कार्यान्वयन अधिकारी (Nodal Officer) बनाया है। इस कार्यदल की तीन महिनों में कम से कम एक बार बैठक होगी। प्रशिक्षण व वित्तीय प्रबंधन का दायित्व निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर को दिया गया है।**

जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरणा (आत्मा) :–

सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के संबंध में विकेन्द्रीकरण लाने तथा अनुसंधान व प्रसार गतिविधियों में एकीकरण के लिए प्रत्येक मार्गदर्शी जिले में आत्मा (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण) की स्थापना की गई है। आत्मा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रो की प्रसार गतिविधियों के लिए तथा सभी लाईन विभागों, अनुसंधान संस्थाओं, गैर–सरकार संस्थाओं एवं अन्य एजेन्सियों आदि जो जिले में कृषि के विकास से जुडी हुई है सम्पर्क रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

आत्मा का संचालन :–

आत्मा 'शासी परिषद्' तथा 'प्रबंध समिति' द्वारा संचालित होगी जो इसकी नीति निर्धारण एवं कार्य योजना व समीक्षा तथा दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगे। आत्मा शासी परिषद् एक नीति निर्धारण तथा सलाह देने वाली एवं आत्मा की प्रगति व कार्यो की समीक्षा करने वाली निकाय होगी।

आत्मा शासी परिषद् संरचना :–

1.	जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्	–	उपाध्यक्ष
3.	समस्त विधायकगण	–	सदस्य
4.	संयुक्त निदेशक, कृषि	–	सदस्य
5.	सह निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र	–	सदस्य
6.	मुख्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र	–	सदस्य
7.	उपनिदेशक, कृषि विस्तार	–	सदस्य
8.	उपनिदेशक, पशुपालन	–	सदस्य
9.	उपनिदेशक, जलग्रहण विकास	–	सदस्य
10.	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास	–	सदस्य
11.	सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड	–	सदस्य
12.	उपनिदेशक, जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य
13.	प्रबंध निदेशक, जिला सहकारी	–	सदस्य ,
14.	प्रबंध निदेशक, जिला दुग्ध सहकारी संघ	–	सदस्य
15.	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग	–	सदस्य
16.	सहायक निदेशक, उद्यान	–	सदस्य
17.	समन्वयक, जिला स्तरीय बैकिग संगठन	–	सदस्य
18.	सचिव, कृषि उपज मण्डी	–	सदस्य
19.	एक उन्नतशील कृषक	–	सदस्य
20.	एक उद्यानिकी कृषक	–	सदस्य
21.	एक पशुपालक कृषक	–	सदस्य
22.	एक अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक	–	सदस्य
23.	एक महिला प्रतिनिधि (कृषक रूचि समूह/स्वंय सहायता समूह)		सदस्य
24.	एक गैर सरकारी संस्था का प्रतिनिधि	–	सदस्य
25.	प्रतिनिधि, कृषि आदान विक्रेता	–	सदस्य
26.	प्रतिनिधि कृषि व्यापार / प्रसंस्करण	–	सदस्य
27.	परियोजना निदेशक, आत्मा	–	सचिव एवं कोषाध्यक्ष

'शासी परिषद्' जिले के विभिन्न कृषक उद्यमों के प्रतिनिधियों एवं उपरोक्त भागीदारी की सदस्यता से गठित की गई है। यह एक नीति तैयार करने वाली तथा सलाह देने वाली एवं आत्मा को कार्यो की समीक्षा करने वाली निकाय है। यह भागीदारी इकाइयों के द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की गई सामरिक वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा तथा अनुमोदन करेगी। यह जिले में भागीदार ईकाइयों को उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्न अनुसंधान तथा प्रसार गतिविधियॉ जो उनके द्वारा की जा रही है कि विषय में फीडबैक व निर्देश उपलब्ध करेगी। यह निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाओं तथा कृषक संघो को, कृषकों के उत्पादन में तकनीकी सहयोग, कृषि प्रसंस्करण विपणन सेवाओं को उपलब्ध कराने में उनकी अधिक भागीदारी को सुगम करेगी। ''आत्मा शासी परिषद् '' दो महीनों मे ंएक बार बैठक करेगी।

<u>सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन शर्त :–</u>

1. **गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति दो वर्षो की अवधि के** लिए शासी परिषद् के अध्यक्ष की सिफारिश पर प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार द्वारा की जायेगी।

2. आरंभ में नियुक्त कुछ गैर सरकारी सदस्यों में से लगभग 2/3 सदस्यों की सदस्यता शासी परिषद् में एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए बढाई जायेगी।

3. शासी परिषद् में नियुक्त कुल कृषक प्रतिनिधियों मे ंसे 30 प्रतिशत प्रतिनिधि महिला कृषक होगी ताकि उन के हितों को पूर्ण प्रतिनिधित्व द्वारा सुनिश्चित किया जा सके।

<u>आत्मा शासी परिषद् के मुख्य कार्य :–</u>

1. सहभागीदार इकाइयों के द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की गई 'सामरिक अनुसंधान व प्रसार योजना' (एस.आर.ई.पी.) तथा वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा व अनुमति प्रदान करना।
2. सहभागीदार ईकाईयों के द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनों की प्राप्ति एवं समीक्षा करना, आवश्यकतानुसार जिले में अनुसंधान व प्रसार की चलाई जा रही विभिन्न कार्यविधियों के विषय में जानकारी व निर्देश देना।
3. जिले में अनुसंधान, प्रसार व संबंधित गतिविधियों की प्राथमिकता तय करने हेतु परियोजना राशि की प्राप्ति एवं आवंटन करना।
4. जिले में कृषक हित समूहों व कृषक संगठनों का विकास तथा संगठन करना।
5. कृषकों को निवेश, तकनीकी सहायता, कृषि प्रसंस्करण व विपणन सेवाओं को उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र, तथा अन्य संगठनों की भागीदारी को सुगम करना।
6. कृषि निवेश संस्थाओं को गरीब तथा सीमान्त कृषको, विशेषकर अनुसूचित जाति तथा महिला कृषकों को और ज्यादा राशि उपलब्ध व करार करना।
7. जिले में कृषि विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन व सहायता देने हेतु उचित अनुबंध व करार करना।
8. आत्मा व इसकी सहभागी ईकाइयों की वित्तीय स्थिति के स्थायित्व को सुनिश्चित करने हेतु अन्य वित्तीय स्त्रोतों की पहचान करना।
9. प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए रिवोल्विंग फंड/खातों की सीापना करना तथा प्रत्येक ईकाई को तकनीकी सेवायें जैसे कृत्रिम गर्भाधान, मृदा संरक्षण सेवायें, आंशिक लागत वसूली के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करना।
10. आत्मा के वित्तीय लेखे की समय–समय पर लेखा जांच का प्रबंध करना।
11. आत्मा के नियम, उपनियामें को अपनाना एवं संशोधन करना।

प्रबंध समिति, आत्मा की गतिविधियों **की योजना तैयार करने तथा उन्हे कार्यान्वित करने हेतु जिम्मेदार होगी।** इसके गठन में लाईन विभागों के जिला अध्यक्षों, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कृषक संघो के दो प्रतिनिधि शामिल है। यह आत्मा की योजनाओं को बनाने तथा **दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए उत्तदरायी होगी।** यह कृषको के विभिन्न समाजिक आर्थिक समूहों को पेश आ रही मुश्किलें एवं रूकावटों की पहचान के लिए समय–समय पर **सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन करेगी।** यह जिले के लिए सम **सामरिक अनुसंधान व प्रसार की योजना तैयार करेगी जो कि किसानो के आडे आ रही चिन्हित अडचनों के लिए प्रसार की प्राथमिकताओं के अनुरूप होगी** तथा **लघु व मध्यम अवधि की अनुकूल** अनुसंधान के वैद्यीकरण तथा परिष्करण निर्दिष्ट करेगी। जिला स्तर के लाईन विभाग तथा अनुसंधान ईकाईयों खण्ड तथा क्षेत्र के प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण तथा सहायक गतिविधियॉ आयोजित करेगे। प्रबंध समिति खण्ड कार्य योजना की तैयारी करेगी जो शासी परिषद् को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा संबंधित लाईन विभागो, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, गेर सरकारी संघ, कृषक संघ तथा निजी क्षेत्र की फर्मो के माध्यम से प्रसार का समन्वय करेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् की अध्यक्षता में प्रति मास अपनी बैठक करेगी।

आत्मा प्रबंध समिति – संरचना :

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	–	अध्यक्ष
2.	उपनिदेशक कृषि विसतार	–	सदस्य
3.	उपनिदेशक, पशुपालन	–	सदस्य
4.	उपनिदेशक, जलग्रहण एवं भूसंरक्षण	–	सदस्य
5.	सह निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र	–	सदस्य
6.	मुख्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र	–	सदस्य
7.	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास	–	सदस्य
8.	सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड	–	सदस्य
9.	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारिता	–	सदस्य
10.	सहायक निदेशक, उद्यान	–	सदस्य
11.	प्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्था	–	सदस्य
12.	दो प्रतिनिधि, कृषक संगठन	–	सदस्य
13.	परियोजना निदेशक, आत्मा	–	सदस्य सचिव

आत्मा प्रबंध समिति के मुख्य कार्य :–

- ➢ जिले के विभिन्न **सामाजिक आर्थिक समूहो तथा कृषकों को पेश आ रही समस्याओं** तथा रूकावटों की पहचान करने हेतु समय–समय पर भागीदार/सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) द्वारा करना।

- ➢ जिले की सामरिक अनुसंधान तथा प्रसार योजना को एकीकृत रूप में तैयार करना जो लघु या मध्यम अवधि की अनुकूल अनुसंधान के साथ–साथ प्रौद्योगिकी वैद्यीकरण तथा परिष्करण एवं प्रसार की प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट कर सके। ये प्राथमिकतायें पी.आर.ए. के दौरान प्रतिबिम्बित हुई होगी।

- ➢ **वार्षिक कार्य योजना तैयार करना** तथा **'शासी परिषद्' की समीक्षा, सम्भावी रूपान्तर एवं स्वीकृत प्रौद्योगिकी प्रसार इकाई (टी.डी.यू.) भारत सरकार** का लेखा परिक्षण के उद्देश्य से प्रस्तुत करने के लिए परियोजना लेखों का उचित रखरखाव करना ।

- ➢ भागीदार लाईन विभागों, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञाान केन्द्र, गैर सरकारी संस्थाओं व निजी क्षेत्र की फर्मों के माध्यम से इन वार्षिक कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन को समन्वय करना।

- **खंड स्तर पर समन्वय प्रक्रिया को स्थापित करना** जैसे 'कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र' की स्थापना जो खण्ड एवं गांव स्तर पर प्रसार व प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण की गतिविधियों को एकीकृत करेंगे।

- **वार्षिक प्रगति कार्य प्रतिवेदन को 'शासी परिषद' को उपलब्ध कराना** जो विभिन्न अनुसंधान, प्रसार एवं सम्बन्ध लक्ष्यों को उललेखित करें जिन का वास्तव में कियान्वयन कर उपलब्धियॉ प्राप्त की गई है ।

- **शासी परिषद से प्राप्त नीति निर्देश, निवेश फैसलों तथा अन्य निर्देशों पर अमल करना व शासी परिषद को सचिवालय सुविधा उपलब्ध कराना ।**

<u>कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र **(FIAC)** :–</u>

'कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र' **खण्ड स्तर की इकाई होगी।** इस इकाई के दो अंग कमशः खण्ड तकनीकी दल **(BTT)** एवं कृषक परामर्श समिति **(FAC)** है। यह खण्ड स्तर पर उन दूसरी सेवाओं व विकास गतिविधियों को छोड़कर जिनका प्रबन्ध दूसरी ईकाइयों या लाइन विभागों के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है अन्य सभी मुख्य प्रसार के कार्यक्रमों का प्रबंध करेगी। वास्तव में 'कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र' आत्मा के लिए प्रसार व संगठनात्मक अंग के रूप में कार्य करेंगे। यह लाइन विभागों के लिए विस्तृत प्रसार कार्यक्रम तैयार करने में तथा उसके कार्यान्वन में समन्वय करने के लिए एक सांझा स्थान होगा। यह एक ऐसा स्तर होगा जहॉ पर 'कृषक सलाहकार समिति' **(FAC)** के माध्यम से कृषकों की भागीदारी को अधिक प्रभावशाली ढंग से गतिमान किया जा सकेगा। ऐसी प्रकिया सभी मुख्य भागीदारों के प्रतिनिधियों को प्रसार प्राथमिकताओं का उनके प्रत्येक कार्यक्षेत्र के निर्धारित करने तथा साधनों के आवंटन में सहायता करेगी। यह केन्द्र 'सामरिक अनुसंधान व प्रसार योजना' को कार्यरूप देने तथा प्रसार पद्धति के लिए एकल खिड़की योजना को आत्मा के समक्ष प्रसतुत करने से पूर्व 'कृषक परामर्श समिति' के द्वारा स्वीकृत करायेगा। आत्मा प्रबन्ध समिति इस कार्य योजना को आत्मा 'शासी परिषद' की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि यह तकनीकी एवं प्रशासनिक रूप से व्यवहारिक तथा एस. आर.ई.पी. संगत हो।

- जिला स्तर के लाइन विभागों तथा अनुसंधान ईकाइयॉ मौसमी या वार्षिक कार्य योजनाएं निम्न कार्यों के लिये तैयार करेंगें–
- निदान व सहायक सेवाओं का अनुसरण (जैसे मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालायें)
- फील्ड स्तर के प्रसार कार्यकर्त्ता तथा 'किसान सूचना एवं परामर्श केन्द्र' के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहयोग ।
- अनुसंधान कार्यक्रम ।
- समय–समय पर जिला **'सामरिक अनुसंधान एवं प्रसार योजना'** (एस.आर.ई.पी.)का उद्यतन ।

<u>खण्ड तकनीकी दल **(B.T.T.)** सदस्यों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–</u>

- ''कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र'' से संपादित होने वाली सभी गतिविधियों का जिम्मेदारी पूर्वक संचालन तथा वहॉ उपलबध सामग्री के माध्यम से कृषि की नवीनतम जानकारियॉ किसानों को उपलब्ध कराना।
- खण्ड स्तरीय ''कृषक परामर्श समिति'' के सहयोग से खण्ड कार्य योजना का निर्माण तथा समिति एवं कृषक समूहों के सहायोग से कियान्वन।
- आत्मा द्वारा प्राप्त निधि का सही लेखा–जोखा रखना, जसे आत्मा कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

- जिले में कार्यरत क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थाओं एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से अनुसंधान एवं प्रसार की गतिविधियों को गति प्रदान करना।
- कृषि से जुडे उपादानों, सेवाएँ, विपणन, प्रसंस्करण इत्यादि उद्यमों/संस्थाओं के साथ प्रभावी तालमेल स्थापित कर कृषि क्षेत्र के सम्यक विकास के लिए प्रयत्न करना।
- खण्ड की कृषि सूचनाओं का समय—समय पर उद्यतन करना तथा मांगे जाने पर आत्मा को उपलब्ध कराना। आत्मा द्वारा नामित स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कृषक समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण आयोजित करना।
- समय—समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर, परिभ्रमण एवं प्रत्यक्षण आयोजित करना।
- निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रभावी सहयोग प्रणाली का विकास करना।
- खण्ड की आधारभूत प्रसार संरचना का प्रभावी मार्गदर्शन।
- प्रत्येक पखवाडे में एक बार निर्धारित दिवस पर 'कृषक परामर्श समिति' के साथ बैठकर अगले पखवाडे की कार्य योजना बनाना एवं पिछडे पखवाडे की गतिविधियों की समीक्षा करना।
- 'किसान सूचना एवं परामर्श केन्द्र' का रख—रखाव तथा सप्ताह में एक दिन वहाँ उपस्थित रहकर खण्ड कृषि एवं संबंधित विषयों से जुडी समस्याओं का निदान करना।
- खण्ड तकनीकी दल का संयोजक, खण्ड के कृषि अधिकारी, पशुपालन अधिकारी, खण्ड मत्स्य अधिकारी, खण्ड उद्यान अधिकारी में जो भी वरीय होगे अथवा उस खण्ड में जो भी उद्यम इसमें प्रमुख होगा उससे संबंधित अधिकारी उस दल की अध्यक्षता करेगे।
- खण्ड तकनीकी दल संयोजक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्राप्त राशियों, लेखा सामग्रीयों आदि का रख—रखाव एवं सभी बैठकों की कार्यवाही सुनिश्चित करे। साथ ही 'कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र' का पूरा प्रभार रखना भी तकनीकी दल संयोजक की जिम्मेदारी होगी।
- खण्ड तकनीकी दल के संयोजक एवं कृषक परामर्श समिति के अध्यक्ष संयुक्त रूप से स्थानीय बैक में 'कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र' के नाम से खाता खोलेगे और उसका संचालन करेगे।
- किसी भी बाहर से आने वाले अधिकारी को खण्ड की कृषि क्षेत्र से जुडी सूचनाएँ उपलब्ध कराना खण्ड तकनीकी दल की जिम्मेदारी होगी।
- ग्रामीण सहभागी आकलन द्वारा उस खण्ड की कृषि क्षेत्र की समस्याओं को समय—समय पर आकलन कर जिला आत्मा कार्यालय को अवगत कराना ।

<u>आत्मा की कार्यप्रणाली :—</u>

योजना बनाना तथा वित्तीय प्रक्रियाएँ :—

आनेवाले मौसम में की जाने वाली प्रसार तथा कृषक प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए **कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र अपने ब्लॉक/खण्ड की कार्ययोजना व बजट तैयार करेंगी** । आत्मा द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता की दशा में ये समन्वित योजनाएं (SREP) में चिन्हित रूकावटों को दूर करने तथा अवसरों का उपयोग करने का प्रयत्न करेगी । इसके अतिरिक्त खण्ड तकनीकी दल का संयोजक खण्ड स्तर के लिए प्रस्तावित प्रसार गतिविधियों के समन्वय तथा इन प्रस्तावों को 'कृषक परामर्श समिति' द्वारा समीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा । कृषक परामर्श समिति से इन प्रस्तावों की अनुमति प्राप्त होने के बाद में ये आत्मा को प्रस्तुत किये जायेंगे । संयोजक खण्ड तकनीकी दल एवं अध्यक्ष 'कृषक परामर्श समिति' संयुक्त रूप से इन प्रसार योजनाओं को आत्मा की 'शासी परिषद्' के अनुमोदन से पूर्व आत्मा की प्रबंध समिति को प्रस्तुत करेंगे । कार्यक्रम के किसी भी मतभेद को आत्मा की शासी परिषद द्वारा सुलझाया जायेगा ।

खण्ड कार्ययोजना 'शासी परिषद' द्वारा अनुमोदित किए जाने के उपरान्त आत्मा परियोजना निदेशक प्रत्येक खण्ड तकनीकी संयोजक को प्रसार कार्यक्रमों को करने हेतु धनराशि चेक द्वारा उलब्ध करायेगा । धनराशि के चैक संयोजक, खण्ड तकनीकी दल एवं अध्यक्ष 'कृषक परामर्श समिति' द्वारा संयुक्त रूप से जारी किये जायेंगे । संयोजक खण्ड तकनीकी दल सम्पूर्ण वित्तीय रिकार्ड रखने जैसे अनुमोदित प्रसार गतिविधियों पर व्यय की गई राशि की रसीदें आदि के लिए जिम्मेदार होगा । सहमति प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय तथा निष्पादन का रिकार्ड आत्मा को न प्रस्तुत करने पर निधि के प्रवाह को निलम्बित कर दिया जायेगा ।

कार्यवाही की प्रक्रिया :–

'कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र' के सभी सदस्य अपने–अपने लाईन विभाग के ही निरंतर कर्मचारी रहेंगे, लेकिन वे 'सामरिक अनुसंधान व प्रसार योजना' के मुख्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में आने वाली रूकावटों को दूर करने तथा प्रसार कार्यक्रम के समन्वय के क्रियान्वयन हेतु 'खण्ड तकनीकी दल' के रूप में कार्य करेंगे । इस समिति के सदस्य मुख्य रूप से दिन–प्रतिदिन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगे तथा 'कृषि परामर्श केन्द्र' के सदस्यों को प्रदर्शन क्षेत्र लगाने, प्रशिक्षण शिविरों में कृषकों को प्रशिक्षित करने, प्रक्षेत्र दिवस मनाने में तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को करने में सहायता करेंगे । इस प्रस्तावित नये प्रबंधों का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत या एकल खिड़की प्रसार प्रणाली की रचना करना है । जहॉ तक संभव होगा, जिला व खण्ड में विकास की उन गतिविधियों को जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत अर्थोपोषित है, का उपयोग प्रदर्शन, प्रसार सहायता तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में किया जायेगा । आने वाले समय के लिए आत्मा का लक्ष्य होगा कि सामरिक अनुसंधान व प्रसार योजना की रिपोर्ट के लिए तथा खण्ड कार्य योजना क्रियान्वयन के लिए इन केन्द्रीय, राजयकीय तथा जिला की निधियों में से अधिकतर निधि का सीधा हस्तांतरण आत्मा को हो ।

अल्पावधि में कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र तथा कृषक परामर्श समिति यह निर्णय करेंगे कि इन विकास की गतिविधियों को खण्ड स्तर पर चल रहे प्रसार कार्यक्रमों को किस प्रकार और अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से उपयोग किया जा सकता है ।

खण्ड व क्षेत्र प्रसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित संरचना का जो नई व्यवस्था में जिला स्तर पर प्रचार गतिविधियों के लिए आत्मा वित्त की विकेन्द्रीय प्रक्रिया को अमल में लायेगी की संगठनात्मक संरचना पूर्व पृष्ठों पर दर्शायी गयी है । कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन की कुंजी कृषि सूचना एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना पर निर्भर करती है । जो खण्ड के अन्दर विनिर्दिष्ट एग्रो इकोलोजिकल जोन के प्रसार कार्यक्रम को प्रभावी रूप में लागू करेंगी ।

एफ.आई.जी. / सी.आई.जी. का गठन :–

आत्मा योजना को सही दिशा देने के लिए जिले में अधिक से अधिक **कृषक रूचि समूह**, **कृषि उत्पाद रूचि समूह**, कृषक संगठन का गठन किया जाना है ताकि कृषक संगठित होकर उद्धेश्य परक मॉग अनुसार उत्पाद तैयार कर विक्रय कर सके।